भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1176

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

"पेट्रोलियम और मादक पेय को माल और सेवा कर के अंतर्गत लाना"

1176. **श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:**
श्री टी. आर. बालू:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेट्रोलियम उत्पादों और मादक पेय पदार्थों को माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने हैं कि इन वस्तुओं की कीमतों का देश के मध्यम और गरीब वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े;
(ख) क्या सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के संबंध में विभिन्न राज्यों में भारी उतार-चढ़ाव का उपभोक्ताओं और व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से जीएसटी के अंतर्गत शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद या राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) ऐसे समावेशन से, विशेषकर आंध्र प्रदेश जैसे उच्च कर वाले राज्यों के लिए, क्या राजकोषीय और राजस्व संबंधी प्रभाव होंगे?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 51 के अनुसार राज्यों को मानव उपभोग के लिए मादक पेय के निर्माण और उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाने का विशेष अधिकार है।

इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 279 ए (5) में यह प्रावधान है कि माल एवं सेवा कर परिषद उस तिथि की सिफारिश करेगी जब से पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीज़ल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर माल एवं सेवा कर लगाया जाएगा। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (2) के अनुसार इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने के

लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होगी। अभी तक जीएसटी परिषद, जिसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है, ने इन वस्तुओं को जीएसटी के अंतर्गत शामिल करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख): पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बाज़ार द्वारा निर्धारित होती हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर उचित निर्णय लेती हैं। पेट्रोल और डीज़ल की अंतिम बिक्री कीमतों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उत्पाद शुल्क और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित वैट/कर शामिल होते हैं। देश भर के राज्यों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें माल भाड़े की दरों, वैट/स्थानीय लेवी आदि के कारण भिन्न-भिन्न होती हैं।

(ग): जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में जीएसटी परिषद के समक्ष यह मुद्दा रखा गया कि क्या पेट्रोलियम उत्पादों में से एक विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के अंतर्गत लाने के मुद्दे पर एक संरचित विचार-विमर्श शुरू किया जाना है या नहीं और यदि हाँ, तो किस प्रकार। हालाँकि परिषद ने यथास्थिति बनाए रखने की सिफारिश की।

(घ): उपर्युक्त भाग (क) एवं (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

*****